न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 1/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री पांचूलाल पुत्र श्री छीतरलाल कौम बैरवा निवासी ग्राम–खेड़ी तहसील–बारां जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री बनेराज सिंह चौहान, अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 25.11.2021

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 70 पाल रकबा 0.67 है. एवं ख0नं0 71 नाई वाला रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 1.02 है0 किस्म माल 2 वाके ग्राम खेड़ी तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात के सेटलमेंट संवत् 2015–24 में साबिक खसरा नम्बर 54 रकबा 11 बीधा 6 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई रहे है। 70 पाल रकबा 0.67 है. एवं ख0नं0 71 नाई वाला रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 1.02 है0 आराजी सम्वत् 2038–57 जमाबन्दी में गैर खातेदार पांचूलाल वल्द छीतरलाल कौम बैरवा सा0 देह के गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 11 बीधा 6 बिस्वा सेटलमेंट बन्दोबस्त सम्वत् 2015–24 में गै.मु तलाई दर्ज है। जिसका आवंटन/नियमन पांचूलाल वल्द छीतरलाल कौम बैरवा को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये पांचूलाल वल्द छीतरलाल कौम बैरवा को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत ... में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:57 IST
Reason: SelfAttested

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये ... दिनांक 10.08.2016 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

3– अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि उक्त रेफरेन्स सर्वथा गलत विधि तथा न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पेश किया गया है तहसीलदार बारां को उक्त रेफरेन्स पेश करने का कोई अधिकार नही है। आराजी ख0 नं0 70 व 71 रकबा साढ़े 6 बीघा भूमि का पांचूलाल वल्द छीतरलाल कौम बैरवा को आवंटन हुआ है। जिसके तहतं खोले गये इंतकाल व दी गई खातेदारी के विरूद्ध रेफरेन्स की कार्यवाही नही की जा सकती। राजस्व कानून के अंतर्गत खातेदारी दी गई भूमि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की जा सकती इस सम्बन्ध में 1995 डी.एन.जे. 11 पेज 592, 1999 आर आर आर 446, 1988 आर.आर.डी. 463, 1986 आर.आर.डी. 137, 1995 आर बी 2003 आर आर डी 237 2012(3) आर.एल.आर. 246 में जो राज. उच्च न्यायालय के निर्णय है स्पष्ट व्याख्या की हुई है। जब सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट, राज. उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल द्वारा यह माना गया है कि इस प्रकार का कोई रेफरेन्स नहीं किसा जा सकता तब यह रेफरेन्स की कार्यवाही सर्वथा विधि विरूद्ध देरीना तथा न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत है व तुरन्त प्रभाव से निरस्तनीय है। उक्त रेफरेन्स के साथ ना तो आवंटन की नकल राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है इसलिये उक्त रेफरेन्स विधि विरूद्ध है तथा 40 वर्ष बाद किया गया लगता है जो किसी भी प्रकार सुनवाई के योग्य नहीं है। उक्त तलाई हंकत तलाई है जिसमें पानी नही भरता है भूमि जो आवंटन की गई है वह तलाई की पाल है। प्रार्थी के अतिरिक्त जुगल शर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण, रामकरण बैरवा पुत्र छीतरलाल को भी उक्त तलाई से भूमि आवंटन की गई है जिनको आल तक भी नोटिस जारी नहीं किये गये। उक्त भूमि से संबंधित नोटिस केवल मात्र प्रार्थी को जारी किया गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार बारां द्वारा उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से बाहर जाकर की है प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है उक्त आराजी के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

4– प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक की सुनी गयी।

5– बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थी को ग्राम खेड़ी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 54 रकबा 11 बीधा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई में से भूमि आवंटित/नियमन हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 70 [illegible] रकबा 0.67 है. एवं ख0नं0 71 नाई वाला रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 1.02 [illegible] है जो वर्तमान में अप्रार्थी के खाते दर्ज है। जिसकी किस्म माल 2 दर्ज है। [illegible] काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन/[illegible] नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरूद्ध आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि आराजी ख0 नं0 70 व 71 रकबा साढ़े 6 बीघा भूमि का पांचूलाल वल्द छीतरलाल कौम बैरवा को आवंटन हुआ है। जिसके तहतं खोले गये इंतकाल व दी गई खातेदारी के विरूद्ध रेफरेन्स की कार्यवाही नही की जा सकती। राजस्व कानून के अंतर्गत खातेदारी दी गई भूमि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की जा सकती। उक्त तलाई हंकत तलाई है जिसमें पानी नही भरता है भूमि जो आवंटन की गई है वह तलाई की पाल है। उक्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से बाहर जाकर की है प्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है उक्त आराजी के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, बारां द्वारा 45 वर्ष पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रकिया के तहत आवंटन/नियमन हुआ है जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

7– हमने पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 11 बीधा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसमें से आराजी ख0नं0 54 मि. रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा अप्रार्थी को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 70 [illegible] 67 है0 एवं खसरा नंबर 71 रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 1.02 है. किस्म माल [illegible] जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी [illegible]/ नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नि[illegible]न नियम विरूद्ध हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

8— अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर मि. 54 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा सेटलमेंट पूर्व सम्वत 2015—24 में ख0नं0 54 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई खाता सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 70 रकबा 0.67 है0 एवं खसरा नंबर 71 रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 1.02 है. किस्म माल 2 बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम खेड़ी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 70 पाल रकबा 0.67 है. एवं ख0नं0 71 नाई वाला रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 1.02 है0, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 54 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

10— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित/नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खाते में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 70 पाल रकबा 0.67 है. एवं ख0नं0 71 नाई वाला रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम खेड़ी तहसील—बारां की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द—बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 25.11.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:57 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बारां